न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर।

उपस्थितः– मोहम्मद रफी (एच०जे०एस०)

UPSD010034002022

Sessions Case/512/2022

राज्य उ०प्र०————————————————————————————————अभियोजक

बनाम

1– चन्द्रभान पुत्र भगौती

2– संजय चौधरी पुत्र चन्द्रभान

निवासीगण ग्राम वीरपुर, थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर।

3– राजेश उर्फ गोली पुत्र रम्पत, निवासी ग्राम छितिरगावा टोला महुलिया थाना सोनहा जनपद बस्ती।

———अभियुक्तगण

एवं

UPSD010017242023

Sessions Case/410/2023

राज्य उ०प्र०————————————————————————————————अभियोजक

बनाम

1– प्रेम प्रकाश पुत्र रामपियारे

2– धनन्जय चौधरी पुत्र चन्द्रभान

निवासीगण वीरपुर, थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर।

———अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध सं०–52/2022

अंतर्गत धारा–147, 308, 304, 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं०

थाना– भवानीगंज,

जनपद– सिद्धार्थनगर।

Digitally signed by MOHAMMAD RAFI
Date: 2026.03.19 16:12:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निर्णय

1. अभियुक्तगण चन्द्रभान, संजय चौधरी व राजेश उर्फ गोली के विरुद्ध अंतर्गत धारा– 147, 308, 304, 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के तहत, थाना भवानीगंज द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र तथा अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश व धनन्जय चौधरी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 147, 308, 304, 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के तहत, थाना भवानीगंज द्वारा प्रेषित पूरक आरोप–पत्र पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर द्वारा संज्ञान लेकर मामले को सत्र परीक्षणीय पाते हुए पत्रावलियां क्रमशः दिनांक–22.09.2022 व 09.03.2023 को सत्र न्यायालय सुपुर्द की गयी। सत्र न्यायालय से स्थानान्तरण द्वारा पत्रावलियां इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुई। **सत्र परीक्षण सं०–512/2022 सरकार बनाम चन्द्रभान आदि तथा सत्र परीक्षण सं०–410/2023 सरकार बनाम धनन्जय चौधरी आदि, एक ही मुकदमे से संबंधित पत्रावलियां हैं, इसलिए इनका विचारण एक साथ किया जा रहा है। सत्र परीक्षण सं०–512/2022 की पत्रावली को अग्रणी पत्रावली माना गया।**

2. वादी मुकदमा विनोद कुमार पुत्र रामतेज के द्वारा दिनांक–19.06.2022 को इस आशय की तहरीर दी गयी कि, –

"घटना दिनांक– 18.06.2022 समय करीब 12 बजे रात मे हमारे गांव के निवासी चन्द्रभान पुत्र भगौती, शेषनाथ पुत्र भरथी, संजय चौधरी पुत्र चन्दभान, धनंजय चौधरी पुत्र चन्द्रभान, प्रेम प्रकाश पुत्र राम पियारे निवासी वीरपुर थाना भवानीगंज जनपद सि० नगर एवं चन्द्रभान के सगे साले राजेश पुत्र रम्पत निवासी महुलिया थाना सोनहा एवं इनके साथ चार अज्ञात व्यक्ति लाठी, डण्डा हौकी, धारदार पंच लेकर एक नाजायज गोल बनाकर पुरानी रंजिश को लेकर हम प्रार्थी के घर एकाएक आकर जान से समाप्त करने के नियत से हमला कर दिये बृजनन्दन और रामतेज दरवाजा पर सोये थे जान बचाकर घर में भागे तो सभी मुल्जिमान घर में घुस कर हत्या करने की प्रयास से बुरी तरीके के मारे पीटे शोर पर गवाहान केशभान चौधरी पुत्र भगौती, उमेश कुमार पुत्र बृजनन्दन, गौरी शंकर पुत्र रामनेवास तथा गांव के अन्य तमाम लोग घटना को देखे और बीच–बचाव किए। अभियुक्त गण भद्दी–भद्दी गाली जान से मारने की धमकी दिए चोटहिल बृजनन्दन, रामतेज की हालात गम्भीर है, जिसे डॉक्टर की सलाह पर चोटहिल बृजनन्दन को बस्ती अस्पताल तथा रामतेज को गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर किया गया है उक्त दोनो चोटहिल की किसी भी समय मृत्यु होने की संभावना है। अतः श्रीमान जी से सादर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके उचित कार्यवाही किया जाए।"

3. वादी मुकदमा विनोद कुमार की उक्त तहरीर के आधार पर थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर में मुकदमा अपराध संख्या–52/2022, अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 307, 452, 504, 506 भा०दं०सं० के तहत चन्द्रभान, शेषनाथ, संजय चौधरी, धनन्जय चौधरी, प्रेम

प्रकाश, राजेश व अन्य 4 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध दिनांक–19.06.2022 को समय 13:35 पर पंजीकृत किया गया।

4. उक्त मुकदमे की विवेचना की गयी। विवेचक ने वादी मुकदमा व अन्य साक्षीगण के बयान लिये, घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण चन्द्रभान, संजय चौधरी व राजेश उर्फ गोली के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 147, 308, 304, 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के तहत तथा अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश व धनन्जय चौधरी के विरुद्ध अंतर्गत धारा– 147, 308, 304, 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के तहत पूरक आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

5. विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण चन्द्रभान, संजय चौधरी एवं राजेश उर्फ गोली के विरुद्ध अंतर्गत धारा–147, 304, 308, 323, 452, 504, 506 भा०दं०सं० के तहत तथा अभियुक्तगण धनन्जय चौधरी व प्रेम प्रकाश के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 147, 304/34, 308/34, 323/34, 452, 504, 506 भा०दं०सं० के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Manojbhai Jethabhai Parmar(Rohit) V. The State of Gujarat 2025 INSC 1433 के मामले में पारित विधि व्यवस्था के अनुरूप अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य निम्नांकित हैं–

क्र. सं.	प्रपत्र का विवरण	प्रदर्श सं०	सत्यापन कर्ता
1.	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू०–1
2.	प्रार्थना पत्र का०सं०–13 क	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू०–1
3.	रोगी भर्ती प्रपत्र(रामतेज)	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू०–2
4.	रोगी भर्ती प्रपत्र(बृजनन्दन)	प्रदर्श क–4	पी०डब्लू०–2
5.	इमरजेंसी पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति	प्रदर्श क–5	पी०डब्लू०–2
6.	पंचनामा	प्रदर्श क–6	पी०डब्लू०–8
7.	डिस्चार्ज/रेफर स्लिप (रामतेज)	प्रदर्श क–7	पी०डब्लू०–5
8.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–8	पी०डब्लू०–6
9.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–9	पी०डब्लू०–6
10.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट(रामतेज)	प्रदर्श क–10	पी०डब्लू०–7
11.	पुलिस फार्म–13	प्रदर्श क–10A	पी०डब्लू०–8
12.	पत्र प्रतिसार निरीक्षक	प्रदर्श क–11	पी०डब्लू०–8
13.	पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर	प्रदर्श क–12	पी०डब्लू०–8
14.	फोटोनाश	प्रदर्श क–13	पी०डब्लू०–8
15.	चिक एफ.आई.आर.	प्रदर्श क–14	पी०डब्लू०–10
16.	कायमी जी०डी०	प्रदर्श क–15	पी०डब्लू०–10
17.	डिस्चार्ज समरी(रामतेज)	प्रदर्श क–16	पी०डब्लू०–11

18.	नक्शा नजरी घटनास्थल	प्रदर्श क–17	पी०डब्लू०–12

7. अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है।

साक्षी सं०	**साक्षी का नाम**	**साक्षी की प्रकृति**
पी०डब्लू०–1	विनोद कुमार वर्मा	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०–2	महेश कुमार वर्मा	चिकित्सक
पी०डब्लू०–3	बृजनन्दन	चोटहिल/चश्मदीद साक्षी
पी०डब्लू०–4	गौरीशंकर	तथ्य का गवाह
पी०डब्लू०–5	डा० सी.वी. चौधरी	चिकित्सक
पी०डब्लू०–6	निरीक्षक बांके लाल	विवेचक
पी०डब्लू०–7	डा० ओम शिवमणी त्रिपाठी	पोस्टमार्टम कर्ता
पी०डब्लू०–8	थानाध्यक्ष प्रभारी अनूप सिंह	पंचनामा कर्ता
पी०डब्लू०–9	निरीक्षक कृपा शंकर मौर्य	विवेचक
पी०डब्लू०–10	उपनिरीक्षक हजारी प्रसाद भाष्कर	एफ.आई.आर. लेखक
पी०डब्लू०–11	डा० आलेक श्रीवास्तव	चिकित्सक
पी०डब्लू०–12	वरिष्ठ उ०नि० राम करन निषाद	विवेचक

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त दिनांक–11.11.2025 को अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रकिया संहिता अभिलिखित किया गया। जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में रंजिशन फंसाया जाना बताते हुए साक्षीगण द्वारा झूठा व औपचारिक साक्ष्य दिया जाना बताया। मुकदमा रंजिशन चलना बताया और सफाई साक्ष्य देने का कथन किया।

9. अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के माध्यम से अभियोजन कथानक को साबित किया गया है या नहीं, इस सम्बन्ध में उनके बयानों का संक्षेप में उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा।

10. साक्षी पी०डब्लू०–1 विनोद कुमार वर्मा पुत्र स्व० रामतेज चौधरी साकिन–बीरपुर थाना भवानीगंज, जिला सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि " घटना दिनांक–18.06.2022 को समय करीब रात्रि 12 बजे की है। हमारे गांव के चन्द्रभान, शेषनाथ, संजय, धनंजय, प्रेमप्रकाश तथा चन्द्रभान के साले राजेश तथा चार अज्ञात व्यक्ति एक राय गोलबन्द होकर पुरानी रंजिश को लेकर चन्द्रभान के हाथ में डंडा, धनंजय के हाथ में हाकी, संजय के हाथ में धारदार पंच और सभी के साथ में डंडा हाकी लिये थे। सभी लोगों ने मिलकर एका–एक मेरे पिता जी रामतेज, चाचा बृजनन्दन जो दरवाजे पर सो रहे थे, उन पर हमला कर दिए। मुल्जिम गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए हमला कर दिये। मेरे पिता जी व चाचा

जी जान बचाकर घर में भागे। इसके बाद सभी मुल्जिमान घर में घुसकर मेरे पिता जी रामतेज व चाचा बृजनन्दन पर हमला कर दिये तथा मारे पीटे। शोर सुनकर मेरे ही गांव के केशभान चौधरी, गौरीशंकर, उमेश कुमार व गांव के अन्य लोग पहुंचकर घटना को देखे और बीच बचाव किया। मैं भी घटना पर पहुंचा था। घटना को देखा व बीच बचाव किया। हमले में (मुल्जिमानों) से मेरे मेरे पिता जी रामतेज व चाचा बृजनन्दन को काफी चोटे आई थी। हम लोगों की मदद से अपने पिता जी व चाचा जी को बेवा अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों लोगों को जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया गया। इसके पश्चात बस्ती जिला अस्पताल से मेरे पिता जी को जिला अस्पताल गोरखपुर रेफर कर दिया गया। मेरे चाचा बृजनन्दन का इलाज बस्ती में हुआ। मेरे पिता जी की गम्भीर हालत को देखते हुए मेडिकल कालेज गोरखपुर द्वारा के.जी.एम.सी. लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, वह बेहोशी हालत में थे उनका इलाज चल रहा था। इस घटना की सूचना मैने दिनांक–19.06.2022 को मुकामी थाना भवानीगंज को दिया गया था। जो कागज सं०–5 क के रूप में शामिल पत्रावली है, जिसको साक्षी को दिखाकर, पढ़ाकर सुनाया गया तो साक्षी ने देखकर बताया कि यही दरखास्त मेरे द्वारा थाने पर दिया गया था। जिस पर मेरा हस्ताक्षर बना हुआ है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला जावे। लखनऊं से हालत मेरे पिता जी की कुछ ठीक होने पर जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर लाए। मेरे पिता जी को लखनऊ से सिद्धार्थनगर दिनांक–23.06.2022 को जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर लाए थे। जहां से दिनांक–24.06.2022 को जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर से मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया था। जहां इलाज के दौरान उन्हीं चोटो के कारण मेरे पिता जी रामतेज की मृत्यु हो गयी। लाश की पंचनामा व पोस्टमार्टम गोरखपुर में हुई थी। इस मृत्यु की सूचना मैने क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज को दिनांक–27.06.2022 को दिया था। जो कागज सं०–13 क के रूप में शामिल पत्रावी है, साक्षी को उक्त प्रार्थना पत्र दिखाकर पढ़ाकर सुनाया गया, तो साक्षी ने बताया कि यह दरखास्त मैने सी०ओ० साहब को दिया था जिस पर मेरा हस्ताक्षर बना है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–2 डाला जावे। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। घटना स्थल भी मैने दरोगा जी को बताया था।”

11. साक्षी पी०डब्लू०–2 डाक्टर महेश कुमार वर्मा वर्तमान तैनाती स्थल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेंवा डुमरियागंज, जिला सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि " मैं दिनांक–19.06.2022 को इमरजेन्सी डयूटी पर सी.एच.सी. बेवा में मौजूद था। दिनांक–19.06.2022 को 01:15 ए०एम० पर चोटहिल रामतेज उम्र 60 वर्ष पुत्र श्रीदत्त साकिन वीरपुर थाना भवानीगंज जिला सिद्धार्थनगर को उनके रिश्तेदार पंकज कुमार के द्वारा मेरे समक्ष इलाज हेतु लाया गया। चोटहिल रामतेज को हेड इन्जरी थी तथा बेहोशी हालत में थे। उनकी सामान्य स्थित

बहुत खराब थी और उनका बल्ड प्रेशर 98/68 एम एम एच जी तथा प्लस रेट 94/मिनट थी। उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उसी दिनांक को समय 01:30 ए.एम पर सिर के सीटी स्कैन और विशेषज्ञ की राय एवं इलाज हेतु जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया था। शामिल पत्रावली कागज संख्या 11 क 6 है जो चोटहिल रामतेज की रोगी भर्ती प्रपत्र है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी में पुष्टि करता हूं जिस पर प्रदर्श क–3 डाला जावें। दिनांक–19.06.2022 को ही 01:25 ए० एम० पर चोटहिल बृजनन्दन उम्र 65 वर्ष पुत्र वासुदेव साकिन वीरपुर थाना भवानीगंज जिला सिद्धार्थनगर को उनके रिश्तेदार पंकज कुमार के द्वारा ही मेरे समक्ष इलाज हेतु लाया गया था। चोटहिल बृजनन्दन के सिर व चेहरे पर चोटे थी तथा बाए आँख के चारो तरफ सूजन था। हीमोट्रोमा बाथी आंख के चारो तरफ मौजूद था। मरीज होश में था और अपना नाम और जगह के बारे में बता रहा था। जिसका प्राथमिक उपचार मेरे द्वारा किया गया तथा नेत्र चिकित्सक विशेषज्ञ की राय एवं इलाज हेतु जिला अस्पताल बस्ती हेतु उसी दिनांक को समय 05:45 ए. एम. पर रेफर किया गया था। शामिल पत्रावली कागज संख्या 11 क/5 है जो चोटहिल बृजनन्दन की रोगी भर्ती प्रपत्र है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–4 डाला जावें। चोटहिल रामतेज व बृजनन्दन के इमरजेन्सी पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति पत्रावली मे कागज संख्या 11 क 4 के रूप में शामिल है जो मेरे द्वारा प्रमाणित है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर बना हुआ है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–5 डाला जावें। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

12. साक्षी पी०डब्लू०–3 बृजनन्दन पुत्र वासुदेव साकिन वीरपुर थाना भवानीगंज जिला सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि " घटना हुए आज से करीब 2 वर्ष 7 माह हुआ। घटना का समय करीब 12 बजे रात्रि का था। मैं और रामतेज अपने सहन दरवाजे पर सोए हुए थे कि तभी शोर सुनकर जगा तो देखा कि मेरे ही गाँव के चन्द्रभान, संजय चौधरी, धनंजय चौधरी, शेष नाथ, प्रेमप्रकाश व चन्द्रभान के सगे साले राजेश उर्फ गोली एक राय व गोलबन्द होकर अपने हाथों मे लाठी, डण्डा, हॉकी और धारदार पंच से रामतेज को माँ बहिन की गाली गुमा देते हुए मार पीट रहे थे। मैं बचाने गया तो मुझे भी मारने पीटने लगे। तब हम लोग अपनी जान बचाने हेतु घर में घुस गए इसके बावजूद मुल्जिमॉन घर में घुसकर हम लोगों को मारे पीटे। शोर सुनकर आसपास के तमाम लोग पहुंच गए थे। मुल्जिमानों के मारने पीटने से रामतेज जमीन पर गिर गए थे मुझे भी मुल्जिमानो ने मारा पीटा था। शोर सुनकर आस पास के तमाम लोग पहुंच गए थे तथा बीच बचाव किये मुल्जिमान जाते हुए गाली गुप्ता और जान माल की धमकी देते हुए चले गए। इसके बाद मुझे व रामतेज को इलाज कराने हेतु सरकारी अस्पताल बेवा लेकर गए। जहाँ मेरा और रामतेज का प्राथमिक उपचार हुआ और डाक्टर साहब ने रामतेज की गम्भीर हालत देखते हुए और मेरी आंख और सिर की चोट को भी गम्भीर देखते जिला चिकित्सालय बस्ती के लिए उसी

दिन रेफर कर दिये। जहाँ पर रामतेज की नाजुक स्थिति देखते हुए उन्हे लखनऊ इलाज के लिए रेफर कर दिया गया और मेरा इलाज होने के उपरान्त मुझे घर भेज दिया गया। चोटहिल रामतेज लखनऊ से जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर आने के बाद उनकी हालत काफी खराब हो गयी थी और डाक्टर साहब ने उन्हे मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर किये, जहाँ इलाज के दौरान मुल्जिमान उपरोक्त के द्वारा पहुंचाई गयी चोटों के कारण रामतेज की मृत्यु हो गयी। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। "

13. साक्षी पी०डब्लू०–4 गौरीशंकर पुत्र रामनेवास साकिन–वीरपुर, थाना भवानीगंज, जिला सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "घटना दिनाँक–18.6.2022 की रात 12 बजे की है। उस समय मैं अपने घर पर मौजूद था और रात में शोरगुल सुनकर घटना स्थल पर पहुँचा तो देखा कि चन्द्रभान व उनके लड़के संजय चौधरी, धनन्जय चौधरी, शेषनाथ, प्रेमप्रकाश जो मेरे गांव के हैं तथा राजेश पुत्र रम्पत जो चन्द्रभान के साले हैं अपने अपने हाथ में लाठी डण्डा, हांकी और धारदार पंच लिये हुये रामतेज के दरवाजे पर गाली गुप्ता देते हुये मारपीट रहे थे। जान बचाने के लिये जब रामतेज अपने घर में घुस गया तो उक्त मुल्जिमान घर में घुसकर रामतेज को बाहर निकाल कर जमीन पर पटक दिये इतने में उनके चचेरे भाई बृजनन्दन वहां आ गये उन्हें भी मुल्जिमानों ने बुरी तरह से मारा पीटा। घटना में रामतेज को गम्भीर चोटे उनके सर में आयी। चोटहिलों को लेकर तत्काल बेवा सामुदायिक केन्द्र हम लोग ले गये जहां गम्भीर स्थिति देखते हुये जिला अस्पताल बस्ती के लिए रेफर किया गया। जहाँ भी गम्भीर स्थिति देखकर मेडिकल कालेज गोरखपुर के लिए रेफर किया गया। मेडिकल कालेज गोरखपुर से मौखिक रूप से मेडिकल कालेज लखनऊ के लिए रेफर किया गया। हमलोग चोटहिल रामतेज को लेकर मेडिकल कालेज लखनऊ ले गये जहाँ उनका इलाज हुआ और वहां से दिनांक 23–6–2022 को अपने नजदीकी जिला अस्पताल ले जाकर इलाज कराने के लिये कहा गया। जिला अस्पताल सिद्वार्थनगर लाने पर वहां के डाक्टर द्वारा इलाज किया गया किन्तु गम्भीर स्थिति देखते हुये मेडिकल कालेज गोरखपुर के लिए रेफर किया गया। मेडिकल कालेज गोरखपुर में इलाज के दौरान ही दिनांक–24.6.2022 को चोटहिल रामतेज की मृत्यु हो गयी। मृतक रामतेज का पंचायतनामा दिनांक 25.6.2022 को मेडिकल कालेज में तैयार किया गया था। पंचायतनामा तैयार करते समय मैं वहां मौजूद था। पंचायतनामा पर मेरे द्वारा भी हस्ताक्षर बनाया गया था। पंचायतनामा 8क/6 के रूप में शामिल मिसिल है जिसपर मेरे हस्ताक्षर अंकित है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–6 डाला जावे। घटना को मेरे द्वारा एवं गांव के तमाम लोगों द्वारा देखा गया। मुल्जिमान द्वारा चोटहिल रामतेज व बृजनन्दन को हांकी डण्डा व लाठी, धारदार पंच से मारते हुये मैने अपनी आंखों से देखा था। मुल्जिमानों द्वारा मारने से आये चोट के कारण रामतेज की दौरान इलाज मृत्यु हुई। दरोगा जी द्वारा मेरा बयान लिया गया था।"

14. साक्षी पी०डब्लू०–5 डाक्टर सी.वी. चौधरी वर्तमान तैनाती संयुक्त जिला चिकित्सालय जनपद सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "मैं दिनांक–24.06.2022 को संयुक्त जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में फिजीसियन पद पर तैनात था। इसी दिन समय 1.50 ए.एम. पर मरीज चोटहिल रामतेज उम्र 6 वर्ष पुत्र श्रीदत्त मेरे समक्ष इलाज के लिए सी०एच०सी०बेवां डुमरियागंज से रेफर होकर लाया गया था। जिसका मैने प्राथमिक उपचार करके उसकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए उसी दिन समय 8.50 ए.एम. पर के०जी०एम०यू० लखनऊ/ हायर सेन्टर मेडिकल कालेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया था। डिस्चार्ज रेफर स्लिप शामिल पत्रावली कागज सं०–11 क/7 है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–7 डाला जाए।"

15. साक्षी पी०डब्लू०–6 निरीक्षक बाके लाल वर्तमान तैनाती प्रभारी निरीक्षक थाना जी.आर.पी. गोण्डा जिला गोण्डा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि " दिनांक–13.08.2022 को मैने मु०अ०स०–52/2022 धारा–147, 308, 304, 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के मुकदमे की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी। इसके पूर्व उक्त मुकदमे की विवेचना निरीक्षक श्री कृपाशंकर मौर्य द्वारा की जा रही थी। दिनांक–13.08.2022 को पर्चा नं०–22 मेरे द्वारा किता किया गया जिसमे विवेचना सुपुर्दगी का विवरण अंकित किया गया। दिनांक–20.08.2022 को पर्चा नं०–25 मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमे पंचनामे के गवाहान राकेश कुमार, केशभान चौ०, विनोद कुमार, गौरी शंकर, रामपाल का बयान अंकित किया गया। दिनांक–27.08.2022 को पर्चा नं०–26 मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमे मृतक रामतेज बेड हेतु टिकट बी.एच.टी. प्राप्त करने हेतु विशेष वाहक को के.जी.एम.यू. लखनऊ रवाना किया गया। दिनांक–31.08.2022 को पर्चा नं०–29 मेरे द्वारा किता किया गया जिसमे मृतक रामतेज का पोस्ट मार्टम कराने वाले का० सुरजीत कुमार तथा मृतक का पंचनामा तैयार करने वाले उपनिरीक्षक अनूप कुमार का बयान अंकित किया गया। इसी दिन पोस्टमार्टम कर्ता डॉ० ओम शिवमणी त्रिपाठी का बयान अंकित किया गया। दिनांक–05.09.2022 को पर्चा नं०–30 किता किया गया जिसमे अवतक की तमामी विवेचना बयान वादी, निरीक्षण घटना स्थल, बयान गवाहान, बयान डाक्टर मेडिकल प्रपत्र व पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवलोकन, चश्मदीद एवं स्वतंत्र साक्षी के बयानात तथा पत्रावली के अन्य संकलित साक्षी के आधार पर अभियुक्तगण चन्द्रभान, संजय चौ०, राजेश उर्फ गोली के विरुद्ध धारा–147, 308, 304, 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० का अपराध बाखूबी साबित पाते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कितया गया तथा शेष अभियुक्तगण शेषनाथ, प्रेम प्रकाश, धनन्जय चौ० के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में विवेचना प्रचलित की गयी। आरोप पत्र कागज सं०–3 क 1 लगायत 3 क 9 शामिल पत्रावली है। जो मेरे निर्देशन में टंकित व तैयार की गयी है। जिस पर मेरा हस्ताक्षर बना हुआ है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर

प्रदर्श क–8 डाला जावे। दिनांक–05.11.2022 को पर्चा नं०–39 मेरे द्वारा किया किया गया जिसमें सी.डी.आर. व मो० नं०–7838912162 के कैफ के अनुसार सी.डी.आर का अवलोकन किया गया। सी.डी.आर. के अवलोकन से उक्त मो० धारक शेषनाथ का लोकेशन दिनांक–18.06.2022 को समय 23 बज कर 46 मिनट 3 सेकेण्ड पर ग्राम हलितपुर परगना रसूलपुर तहसील डुमरियागंज जिला सिद्धार्थनगर का पाया गया। दिनांक–13.11.2022 को पर्चा नं०–40 किता किया गया जिसमें चश्मदीद साक्षीगण रामभवन, सन्तराम चौ०, संतलाल, सन्तोष कुमार मेदलाल व दीनानाथ का बयान अंकित किया गया।

16. दिनांक–20.11.2022 को पर्चा नं०–41 किता किया गया जिसमें स्वतंत्र साक्षीगण निहालुद्दीन, अकरामुद्दीन धमालू यादव का बयान अंकित किया गया। दिनांक–25.11.2022 को पर्चा नं०–42 किता किया गया जिसमें विशिष्ट साक्षीगण शिव बहादुर सिंह, सग्धू चौहान, गोविन्दराम, राजकुमार चौधरी, नन्दलाल चौधरी का बयान अंकित किया गया। जिसमें विशिष्ट साक्षियों ने बताया था कि मृतक रामतेज को हम लोग जानते थे उनसे हम लोग के अच्छे संबंध थे। मार पीट व अस्पताल में भर्ती की सूचना मिलते ही हम लोग मृतक रामतेज से मिलने व हाल चाल जानने मेडिकल कालेज लखनऊ गये थे। मृतक रामतेज लखनऊ में भर्ती थे, बात चीत में उन्होंने बताया था कि पिछले वर्ष प्रधानी की चुनाव की रंजिश को लेकर चन्द्रभान, संजय, धनन्जय चौधरी, प्रेम प्रकाश व राजेश उर्फ गोली के द्वारा मुझे और बृजनन्दन को मारा पीटा गया था। उनसे हम लोगों ने पूछा की आपके परिवार व पट्टीदार के लोग शेष नाथ को भी बता रहे है कि उन्होंने भी मारा है, क्या यह बात सही है। तब रामतेज ने बताया था कि वह दिल्ली में रहता है वह जिस दिन घटना घटी थी वह उस दिन देर रात अपने घर पहुंचा था। मैने उसे मार पीट में नहीं देखा था। अगर लोग शेषनाथ को बता रहे है तो यह गलत है।

17. दिनांक–05.12.2022 को पर्चा नं०–45 किता किया गया जिसमे आरोपी शेषनाथ चौधरी का बयान अंकित किया गया। दिनांक–06.12.2022 को पर्चा नं०–46 किता किया गया, जिसमे साक्षीगण शिवबहादुर सिंह व गोविन्द का मजीद बयान अंकित किया गया। दिनांक–08.12.2022 को पर्चा नं०–47 किता गया गया जिसमें विशिष्ट साक्षियों के कलबन्ध बयानों व अन्य संकलित साक्षों के आधार पर नामित अभियुक्त शेषनाथ चौ० का नाम विलोपित किया गया। दिनांक–10.12.2022 को पर्चा नं०–51 किता किया गया जिसमे अभियुक्त धनन्जय चौ० को गिरफ्तारी कर बयान अंकित किया गया। दिनांक–20.12.2022 को पर्चा नं०– 57 किता किया गया, जिसमे अभियुक्त प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर बयान अंकित किया गया। दिनांक–23.12.2022 को पर्चा नं०–61 किता किया गया, जिसमे तमामी विवेचना बयान हवाहान के बयानात व अन्य संकलित साक्षो के आधार पर अभियुक्तगण धनन्जय चौ० व प्रेम प्रकाश के विरुद्ध धारा–147, 308, 304, 452, 323, 504, 506 के अन्तर्गत आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया

गया। दिनांक–26.01.2023 को पर्चा नं०–62 मेरे द्वारा किता किया गया जिसमे श्रीमान् क्षेत्राधिकार डुमरियागंज आदेश के अनुपालन में स्वतंत्र साक्षीगण शफीक अहमद, इश्तयाक अहमद, अब्दुल्लाह, भालचन्द्र, राजेन्द्र कुमार वर्मा का बयान अंकित करते हुए विवेचना समाप्त किया गया। आरोप पत्र शामिल पत्रावली कागज सं०–3 क/1 लगायत 3 क/13 के रूप में है जो मेरे निर्देशन में टंकित व तैयार किया गया है। जिस पर मेरा हस्ताक्षर बना हुआ है। जिसकी पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–9 डाला जावे। ”

18. साक्षी पी०डब्लू०–7 डॉ० ओम शिवमणी त्रिपाठी वर्तमान तैनाती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदार नगर जनपद गोरखपुर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "दिनांक–25.06.2022 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदार नगर जनपद–गोरखपुर में तैनात था। उस दिन मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में लगी थी। जहां मैं अपने ड्यूटी पर मौजूद था। इसी दिन मृतक रामतेतज पुत्र श्रीदत्त ग्राम वीरपुर भवानीगंज जिला सिद्धार्थनगर उम्र लगभग 60 वर्ष के शव को का० सुरजीत कुमार थाना–गुलहीय जनपद गोरखपुर द्वारा पोस्टमार्टम हेतु मेरे समक्ष लाया गया जो सील सर्व मोहर हालत में था।

19. शव की शारीरिक बनावट मध्यम औसत काठी की थी, शव के शरीर पर सर्ट व लुंगी पहने हुआ था। मृत्यु के पश्चात शव के चारो निगस में अकड़न मौजूद थी। शव की आंख और मुहं बन्द था।

20. मृत्यु पूर्व चोटे निम्न प्रकार से हैं–

1– टांका लगा हुआ घाव जिस पर तीन टांके लगे थे जो कि सर के अगले भाग में था तथा काट कर देखने पर नीचे खून का थक्का जमा था। खोपड़ी की हड्डी खोलने पर अन्दर ब्रेन में थक्का खून का थक्का जमा था।

2– एक कन्टयूम स्पीलीग 6x10 सेमी. के आकार का दाहिने कैम्यूरल एटीया में उपस्थित था वहां का स्कीन काटने पर अन्दर खून का थक्का जमा था।

3– एक कन्टयूस एवेलीग 10x7 सेमी. के आकार का अक्सी पीटोराईटल (सर के पीछे के तरफ) में उपस्थित था। वहां का स्कीन काटने पर खून का थक्का जमा था।

21. आन्तरिक परीक्षण में– सिर और स्कल्प जैसा की ऊपर लिखित चोटो को दर्शाया गया है मस्तिष्क का वजन 1200 ग्राम था। जिस पर उपरोक्त लिखित चोटे पायी गयी थी। फेफड़ो की स्थिति वजन दाहिना 350 ग्राम बाया 300 ग्राम नार्मल था। हृदय 200 ग्राम वजनी आधा भरा हुआ था। आमाशय में तरल मौजूद था। छोटी आंत एवं अपन्डिस्क खाली था। बड़ी आंत में मल एवं गैस मौजूद था। लीवर 1200 ग्राम वजनी तथा नार्मल था। स्पलीन 200 ग्राम वजन का था तथा नार्मल था। रिड का छला खोला नहीं गया, मृत्यु का संभावित समय लगभग 1 दिन का था। मृत्यु का कारण कोमा एवं एन्टीमार्टम इन्जरी थी। शव परीक्षण दिनांक–25.06.2022 को समय

6.30 पी.एम. से 6.50 पी.एम. तक किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल पत्रावली कागज सं०–11क/2 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–10 डाला जावे।"

22. साक्षी पी०डब्लू०–8 थानाध्यक्ष अनूप सिंह वर्तमान तैनाती खजनी जनपद गोरखपुर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि " मैं दिनांक–25.06.2022 पुलिस चौकी बी०आर०डी० मेडिकल कालेज गोरखपुर, थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर में बतौर चौकी इंचार्ज तैनात था। उसी दिन बी०आर०डी० मेडिकल कालेज गोरखपुर के वर्डब्वाय नौमीनाथ द्वारा मृतक रामतेज पुत्र श्रीदत्त निवासी ग्राम बीरपुर थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर उम्र करीब 60 वर्ष की मृत्यु की सूचना पर मैं व कां० सुरजीत कुमार मय जिल्द पंचायतनामा व अन्य दीगर कागजात के साथ मर्चरी हाउस बी० आर० डी० मेडिकल कालेज गोरखपुर पहुंचा, जहां मृतक के परिजन व सगे संबंधी मौके पर मौजूद थे। मौजूद परिजन की देख रेख में मृतक के शव को उलट–पलट कर बारीकी से चोटों का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात मौजूद परिजनों में से पंचांग नियुक्त कर पंचनामे कार्यवाही आरम्भ की गयी।

शव दशा– सिर उत्तर, पैर दक्षिण, दोनों हाथ पहलू में, चित्त दशा में था।

शव का हुलिया– रंग सांवला, लम्बा चेहरा, एकहरी जिस्म, आंख मुंख अधखुला हुआ। नाक,कान कद औसत था।

पहनावा– हाफ शर्ट नीले रंग का, लुंगी नीला व चेकदार था।

चोट– सामने सिर के बीच में टांगा लगा हुआ था, दोनों आंख पर कालापन, सिर में बाये तरफ कान के ऊपर रगड़ गले के बीच में होल,

राय पंचांग– सभी पंचानों से अलग–अलग व सामूहिक रूप से पूछा गया तो सभी ने एक राय होकर बताया कि पूर्व में लगी चोट तथा सांस लेने में परेशानी होने के कारण इलाज हेतु बी० आर० डी० मेडिकल कालेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मृत्यु होना बताया गया। मेरी भी राय पंचानो के राय से मेल खाती है। फिर भी मृत्यु का सही कारणों को जानने के लिए शव को सफेद कपड़े में सील सर्व मोहर कर नमूना तैयार कर संबंधित कागजात के साथ का० सुरजीत कुमार को शव का पोस्टमार्टम कराने हेतु सुपुर्द किया गया तथा मौके पर ही पंचनामा तैयार करके सभी संबंधित के अलामात बनवाया गया था। पंचनामा शामिल पत्रावली कागज सं०–8क/6 है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर पूर्व में ही प्रदर्श क–6 डाला जा चुका है। शामिल पत्रावली क्रमशः कागज संख्या–8क/1 पुलिस फार्म संख्या–13, कागज सं०–8क/2 पुलिस प्रतिसार निरीक्षक प्रपत्र संख्या–33, कागज सं०–8क/3 पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर, कागज सं०–9क फोटोनाश उपरोक्त सभी कागजात मेरे लेख व

हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–10, प्रदर्श क–11, प्रदर्श क–12, प्रदर्श क–13 डाला जाए। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। "

23. साक्षी पी०डब्लू०–9 निरीक्षक कृपा शंकर मौर्य वर्तमान तैनाती आर०टी०सी० श्रावस्ती पुलिस लाइन श्रावस्ती जनपद श्रावस्ती ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "मैं दिनांक–03.07.2022 को थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था इसी दिन मैने मु०अ०सं० 52/2022 धारा 147, 308, 304, 452, 323, 504, 506 आई०पी०सी० थाना भवानीगंज की विवेचना मैंने ग्रहण की थी। दिनांक–05.07.2022 को पर्चा नं 13 किता किया गया जिसमें थाना हाजा से रवाना होकर केजीएमयू लखनऊ पहुँचा जहाँ मजरुब रामतेज की बीएचटी की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करने हेतु सीएमएस केजीएमयू लखनऊ महोदय को प्रतिवेदन दिया तथा इसी दिन डाक्टर आलोक श्रीवास्तव तथा डाक्टर मोहिनी का बयान अंकित किया गया। दिनांक–08.07.2022 को पर्चा नं 15 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त राजेश उर्फ भोली जो मुकदमा उपरोक्त में धारा–147, 148, 149, 307, 452, 323, 504, 506 आई०पी०सी० में निरुद्ध था जिसका रिमाण्ड नियमानुसार धारा 147, 308, 304, 452, 323, 504, 506 आई०पी०सी० में परितवर्तित कराकर रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु याचना की गई। दिनांक–08.07.2022 को ही पर्चा नं 16 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण चन्द्रभान , संजय चौधरी जो न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध थे ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय का अनुमति प्राप्त कर जिला कारागार सिद्धार्थनगर में जाकर अभियुक्तगण चन्द्रभान, संजय चौधरी का बयान अंकित किया गया। दिनांक–19.07.2022 को पर्चा नं 20 किता किया गया जिसमें अभियुक्तगण शेषनाथ, प्रेमप्रकाश, धनन्जय चौधरी के मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दिया गया किन्तु नहीं मिले, ऐसी दशा में उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध एन०बी०डब्लू० का आदेश प्राप्त करने हेतु माननीय सीजेएम महोदय के न्यायालय से याचना की गई। इसके पश्चात मेरा स्थानान्तरण थाना डुमरियागंज में हो गया था। ऐसी दशा में उक्त मुकदमे की विवेचक अन्य विवेचक द्वारा प्रचलित की गई।

24. साक्षी पी०डब्लू०–10 उपनिरीक्षक हजारी प्रसाद भाष्कर वर्तमान तैनाती थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि " मैं दिनांक–19.06.2022 को थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर में हे० मो० के पद पर तैनात था इसी दिनांक को मुकदमा वादी विनोद कुमार के लिखित तहरीर के आधार पर तथा तत्कालीन थाना प्रभारी महेश सिंह के निर्देशानुसार मु०अ०सं० 52/2022 धारा 147, 148, 149, 307, 452, 504, 506 आई०पी०सी० का मुकदमा मेरे द्वारा बोलकर सी०सी०टी०एन०एस० से टंकित कराया गया था जो शामिल पत्रावली कागज सं 4 क/1 लगायत ४क/2 है जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी महेश सिंह का हस्ताक्षर बना हुआ है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क 14 डाला जाय तथा इसी दिनांक–19.06.2022 को समय 13.35 बजे जी०डी० नं० 28 पर मु०अ०सं० 52/2022

धारा 147, 148, 149, 307, 452, 504, 506 आई०पी०सी० के मुकदमे की कायमी मेरे द्वारा सी०सी०टी०एन०एस० से टंकित कराई गयी थी जो शामिल पत्रावली कागज सं 6 क/5 है जो मेरे द्वारा प्रमाणित व हस्ताक्षरित है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क 15 डाला जाय। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

25. साक्षी पी०डब्लू०–11 डॉ० आलोक श्रीवास्तव वर्तमान तैनाती स्थल एरा मेडिकल कालेज लखनऊ ने जरिये वी०सी० अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "

दिनांक–19.06.2022 को मैं किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में सीनियर रेजीडेंट पद पर तैनात था। इसी दिनांक को चोटहिल रामतेज पुत्र श्री दत्त निवासी ग्राम बीरपुर थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर मेरे यहां रात्रि 1.15 बजे एडमिट हुआ था। मेरे साथ डा० मोहिनी कोल की भी ट्रामा सेन्टर में तैनात थी / ड्यूटी लगी हुई थी। मेरे द्वारा चोटहिल रामतेज का इलाज किया गया था। चोटहिल अपने रिश्तेदारों के साथ बेहोशी की हालत में लाया गया था। चोटहिल की प्राथमिक जांचे एवं सिटी स्कैन से सर की गंभीर चोटें पाई गयी थी जिसमें दिमाग में खून के थक्के पाये गये थे। मरीज को इलाज के दौरान आई.सी.यू. केयर भी देनी पड़ी थी एवं सांस के सपोर्ट के लिए गले में ट्यूब भी डाली गयी थी। मरीज रामतेज को दिनांक–23.06.2022 को मेरे यहां से डिस्चार्ज किया गया था। मेरे तथा डा० मोहिनी कोल के देख रेख में चोटहिल का इलाज किया गया था। वर्तमान समय में डा० मोहिनी कोल का पता नहीं है। मैं मोहिनी कोल के लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं। डिस्चार्ज समरी मय अन्य कागजात शामिल पत्रावली कागज सं०–11 क/9 लगायत 11 क/22 है जिस पर डा० मोहिनी कोल का हस्ताक्षर व मुहर लगा हुआ है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। जिस पर प्रदर्श क–16 डाला जाय। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

26. साक्षी पी०डब्लू०–12 वरिष्ठ उ०नि० राम करन निषाद वर्तमान तैनाती धर्मसिंहवा जनपद संतकबीर नगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "मैं दिनांक–19.06.2022 को थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर में उ०नि० के पद पर तैनात था। इसी दिन मैने मु०अ०सं०–52/2022, धारा–147, 148, 149, 307, 452, 504, 506 भा०दं०सं०के मुकदमे की विवेचना मैने ग्राहण किया था। इसी दिन पर्चा नं०–1 मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमे अवलोकन एफ०आई०आर०, नकल रपट कायमी किया गया तथा एफ०आई०आर० लेखक हे० मो० हजारी प्रसाद भास्कर का बयान अंकित किया गया। दिनांक–20.06.2022 को पर्चा नं०–2 किता किया गया, जिसमे वादी मुकदमा विनोद कुमार का बयान अंकित किया गया तथा वादी मुकदमा विनोद कुमार के निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर ही घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया। जो शामिल पत्रावली कागज संख्या 7 क है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी में पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–17 डाला जाये। इसी दिन साक्षीगण केशभान चौधरी, सुमित्रा देवी, उमेश, गौरीशंकर, कन्हैया, सपना, रामचरित्र, राजेश कुमार,

बजरंगी का बयान अंकित किया गया तथा इसी दिन मजरूब बृजनंदन का बयान अंकित किया गया। तथा इसी दिन डिस्चार्ज स्लिप का भी अवलोकन किया गया।

27. दिनांक–24.06.2022 को पर्चा नं०–6 किता किया गया जिसमे अभियुक्त राजेश उर्फ गोली को गिरफ्तार कर बयान अंकित किया गया। दिनांक–25.06.2022 को पर्चा नं०–7 किता किया गया तथा इसी दिन डा० महेश कुमार वर्मा चिकित्साधिकारी सी०एच०सी० बेवा डुमरियागंज का बयान अंकित किया गया। दिनांक–27.06.2022 को पर्चा नं०–8 किता किया गया जिसमे स्वतंत्र साक्षीगण जोखन, मेदलाल, संतराम, संतोष कुमार, प्रभूनाथ, सुरेन्द्र कुमार, तारावती, चन्द्रावती, कन्हैया का बयान अंकित किया गया। अब तक की तमामी विवेचना के आधार पर धारा–307 भा०दं०सं० विलोपित की गयी तथा धारा–308 व 323 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी। इस प्रकार से अग्रिम विवेचना धारा–147, 148, 149, 308, 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के तहत विवेचना प्रचलित की गयी। दिनांक–28.06.2022 को पर्चा नं०–9 किता किया गया, जिसमे वादी मुकदमा विनोद कुमार चौधरी के पिता रामतेज की मृत्यु की सूचना/प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा वादी मुकदमा का मजीद बयान एवं साक्षी राजेश का बयान अंकित किया गया। अब तक की तमामी विवेचना व प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा–148, 149 भा०दं०सं० को विलोपित किया गया तथा वादी मुकदमा के पिता रामतेज की मृत्यु की सूचना/प्रार्थना पत्र के आधार पर धारा–304 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी। इस प्रकार से अग्रिम विवेचना धारा–147, 308, 304, 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के तहत प्रचलित की गयी। दिनांक–29.06.2022 को पर्चा नं०–10 किता किया गया, जिसमे रामतेज का जिला चिकित्सालय बस्ती में भर्ती प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया तथा इसी दिन मजरूब बृजनंदन के जिला चिकित्सालय बस्ती में भर्ती प्रमाण पत्र का भी अवलोकन किया गया। इसके पश्चात मेरा जनपद संतकबीर नगर में स्थानान्तरण हो गया। ऐसी स्थिति में अग्रिम विवेचना अन्य विवेचक द्वारा प्रचलित की गयी।

28. बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये प्रतिरक्षा साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक को खण्डित किया गया है या नहीं इस सम्बन्ध में उनके बयानों का उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा।

29. साक्षी डी०डब्लू०–1 संतोष कुमार पुत्र जोखन प्रसाद ग्राम वीरपुर थाना भवानीगंज, जिला–सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि " दिनांक–18.06.2022 रात का समय था मेरे गांव के केशभान चौधरी जो गांव के प्रधान है। चन्द्रभान के सगे भाई है। दोनों लोगों के बीच में बटवारा आदि को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बटवारे के बात को लेकर केशभान चौधरी और चन्द्रभान चौधरी केशभान के दरवाजे पर आपस में पंचायत हो रही थी उसी दौरान केशभान चौधरी व चन्द्रभान चौधरी के पक्ष लोग आपस में कहा सुनी करने लगे आवाज

सुनकर मैं भी पहुंच गया तथा गांव के और भी तमाम लोग इकट्ठा हो गये, कहा सुनी गाली गलौज के दौरान बीच बचाव इधर उधर भाग दौड़ में रामतेज व बृजनन्दन जो केशभान के घर प रास्ता के बगल पक्की नाली पर भीड़ भाड़ में से किसी व्यक्ति के धक्का लगने से गिर गये थे जिससे दोनों लोगों को चोटे लग गयी थी। बृज नन्दन और रामतेज को चन्द्रभान, संजय, धरजय, राजेश, प्रेमप्रकाश ने मारा नहीं था न ही इन लोगों से कोई झगड़ा विवाद रामतेज व बृजनन्दन से हुआ था। रामतेज के दरवाजे पर कोई मार पीट की घटना नहीं हुई थी। केशभान के घर से रामतेज का घर तीन चार घर के दूरी पर है। बाद में केशभान चौधरी एक साजिश के तहत चन्द्रभान आदि के खिलाफ मनगढ़न्त कहानी रामतेज के दरवाजे पर मार पीट की घटना दिखा कर रामतेज का लड़का विनोद थाने पर ले जाकर रंजिशन मुकदमा लिखा दिया है जो एकदम गलत था। जो मैं देखा हूँ। वही बयान दे रहा हूँ।"

30. साक्षी डी०डब्लू०–2 अनिल कुमार पुत्र पुजारी साकिन वीरपुर थाना भवानीगंज जिला सिद्धार्थनगर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि " आज से करीब साढ़े तीन साल पहले की बात है। तारीख 18.06.2022 को मेरे गांव के केशभान चौधरी जो प्रधान है। उनके सगे भाई चन्द्रभान के बीच बटवारा आदि की बात को लेकर केशभान चौधरी के दरवाजे पर दोनों भाइयों के बीच पंचायत हो रही थी। उसी दौरान केशभान चौधरी और चन्द्रभान चौधरी आपस में कहा सुनी करने लगे और गाली गलौज करने लगे, आवाज सुनकर गांव के तमाम लोग पहुंचे और मैं भी पहुचा था और मौके पर काफी भीड़ हो गयी थी। लोगो के इधर उधऱ आने जाने में केशभान के दरवाजे पर बनी बक्की नाली पर भीड़ भाड़ मे से किसी व्यक्ति के धक्का लगने से बृजनन्दन और रामतेज को नाली में गिरने से चोट लग गयी थी। बृजनन्दन और रामतेज को चन्द्रभान, संजय, धनन्जय, राजेश, प्रेमप्रकाश ने मारा पीटा नहीं था न ही रामतेज बृजनन्दन से कोई झगड़ा विवाद हुआ था। रामतेज के दरवाजे पर या उनके घर के अन्दर कोई मार पीट झगड़ा विवाद नहीं हुआ था। चन्द्रभान आदि के खिलाफ मनगढ़न्त कहानी रामतेज के दरवाजे पर मार पीट की घटना दिखाकर विनोद को थाने ले जाकर रंजिशन मुकदमा लिखाया जो गलत है। जो मैने देखा वही बयान दे रहा हूँ। इस मामले में चन्द्रभान आदि को उनके भाई केशभान द्वारा साजिश करके फंसाया गया है।"

31. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का परिशीलन किया।

32. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा तर्क दिये गये कि–

(i) दिनांक– 18.06.2022 को रात करीब 12 बजे वादी मुकदमा के पिता तथा उसके चाचा के साथ घातक हथियारों के साथ जानलेवा हमला किया।

(i) अभियुक्तगण द्वारा किये गये घातक प्रहारों के कारण रामतेज की मृत्यु हो गयी तथा बृजनन्दन गम्भीर रूप से घायल हो गया।

(i) उक्त घटनाक्रम का समर्थन न केवल अन्य अभियोजन साक्षियों ने किया है वरन् घटना में चोटहिल चश्मदीद साक्षी ने भी घटना को तस्दीक किया है।

(i) बचाव पक्ष का अज्ञात अभियुक्तों द्वारा किये गये हमले का तर्क अविश्वसनीय है, उस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी है।

(i) अभियोजन की साक्ष्य पूर्णतः पुष्ट है उसमें आने वाले विरोधाभास तुच्छ प्रकृति के है। मेडिकल साक्ष्य से भी घटना साबित होती है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये।

33. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा तर्क दिये गये कि–

(i) अभियुक्तगण को वादी मुकदमा के सहयोगी प्रधान, जोकि अभियुक्तों का सगा भाई है उसके द्वारा झूठा फंसाया गया है।

(i) घटना का कोई मोटिव साबित नहीं है, पुरानी रंजिश भी साबित नहीं की गयी है।

(i) मृतक तथा चोटहिल बृजनन्दन की कोई मेडिकोलीगल रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी है।

(i) साक्षियों के बयानों में घोर विरोधाभास है। घटनास्थल को भी अलग–अलग बताया गया है।

(i) अभियुक्तगण के साथ अज्ञात व्यक्तियों के आने के सम्बन्ध में कोई विवेचना नहीं की गयी है। वस्तुतः घटना अज्ञात व्यक्तियों ने कारित की थी।

(i) अभियोजन ने बढ़ा–चढ़ाकर घटना प्रस्तुत की है। मेडिकल साक्ष्य से भी घटना की पुष्टि नहीं होती है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

34. उभय पक्ष के तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर निष्कर्ष आना आवश्यक है।

1– क्या समस्त अभियुक्तगण ने दिनांक– 18.06.2022 को रात्रि 12 बजे रामतेज और बृजनन्दन के साथ मारपीट की ?

2– क्या रामतेज और बृजनन्दन के साथ होने वाली घटना किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कारित की गयी थी जो विचारण होने वाले अभियुक्तगण से सम्बन्धित नहीं थे ?

35. अभियोजन द्वारा अपना प्रकरण साबित करने के लिए प्रस्तुत किये गये साक्षियों ने अपनी मुख्य परीक्षाओं में घटना का पूर्णतः समर्थन किया है तथा पी०डब्लू०–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया है कि उसने तहरीर दयाशंकर यादव से लिखायी थी जो उसके गांव के ही रहने वाले थे।

तहरीर गांव में ही लिखायी गयी थी। तहरीर 19 तारीख को लिखायी गयी थी। सुबह के समय लिखायी गयी थी। जिस समय तहरीर लिखाया गया उस समय उसके पिता मेडिकल कालेज गोरखपुर में थे जहाँ उसके बड़े पिता का लड़का राकेश लेकर गया था। साक्षी के अनुसार चन्द्रभान चौधरी के भाई केशभान चौधरी गांव के प्रधान हैं। चन्द्रभान के दो और भाई हैं। चन्द्रभान का कारोबार बम्बई में होता है। इनके लड़के धनन्जय और संजय भी रहकर पढ़ाई–लिखाई करते हैं। चन्द्रभान और केशभान चौधरी की आपसी रंजिश है या नहीं, बता नहीं सकता। इस केस में चन्द्रभान चौधरी का भाई केशभान चौधरी गवाह है। साक्षी ने बताया कि उसके और चन्द्रभान के बीच किसी प्रकार का जमीन जायदाद का विवाद नहीं है। चन्द्रभान और केशभान के मध्य जो प्रधानी को लेकर विवाद था उससे उनका कोई वास्ता नहीं था। उसके और चन्द्रभान के बीच पुरानी रंजिश है, लेकिन कौन सी रंजिश थी नहीं बता पायेगा। पुरानी रंजिश के बारे में इसके पिता ने बताया था, लेकिन वह कौन सी रंजिश बताये थे नहीं बता सकता। चन्द्रभान और उसके घर के बीच 200–250 मीटर की दूरी है और दोनों के बीच 4–5 लोगों के मकान है। उसका और बृजनन्दन का घर सटा हुआ है जिसके बीच में खाली जमीन है। बृजनन्दन उसके सगे चाचा हैं।

36. गवाह ने यह भी बताया कि राजेश के साथ जो चार अज्ञात लोग थे उनके हाथ में लाठी डण्डा था। अन्धेरा नहीं था। अज्ञात लोग मारपीट कर गाली–गलौच करके चले गये थे। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों को वह गिन नहीं पाया था। वह अपने पिता के ईलाज के लिए परेशान था। वह अपने पिता का ईलाज कराने बेवा अस्पताल ले गया। फिर उससे लेकर उसका भाई गोरखपुर गया। उसके पिता को लेकर केशभान भी गये थे। केशभान उसके पिता को लेकर गोरखपुर, लखनऊ भी गये थे। राजेश उर्फ गोली का नाम वह जानता है जो बस्ती का रहने वाला है। धनन्जय चौधरी उसके पिता को मार रहे थे। धनन्जय के हाथ में हॉकी था। अभियुक्त प्रेम प्रकाश उसका पट्टीदार है। प्रेम प्रकाश से भी पुरानी रंजिश है। अभियुक्त प्रेम प्रकाश से कितनी पुरानी रंजिश है ये वह नहीं जानता। बृजनन्दन के हाथ पर व आँख पर चोट लगी थी। बृजनन्दन बस्ती अस्पताल में दो चार दिन भर्ती था। मारपीट के जानकारी के दो चार मिनट बाद पहुँचा फिर कहा तुरन्त पहुँचा। अभियुक्त शेषनाथ का नाम उसने तहरीर में लिखवाया था बाद में इनसे सुलह नहीं किया है, लेकिन इनका नाम निकल गया। वह ये नहीं जानता है कि चन्द्रभान और केशभान आपस में मारपीट कर रहे थे। उसके पिता बुजुर्ग थे 55 वर्ष के थे। घटनास्थल पर कौन आया, कैसे गया उसने नहीं देखा था। मुल्जिम को देखा था। मुल्जिम दक्षिण की तरफ चले गये थे। यह कहना गलत है कि "घटना के दिन चन्द्रभान और केशभान अपने घर में मारपीट कर रहे थे।" यह कहना गलत है कि "चन्द्रभान और केशभान के बीच में हो रही मारपीट का बीच–बचाव करने उसके पिता व बृजनन्दन भी गये और वहीं बीच–बचाव करने से गिरने से उन्हें चोटें आयी।"

37. पी०डब्लू०–2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि उसने बृजनन्दन और रामतेज का कोई मेडिकल रिपोर्ट तैयार नहीं किया था। दोनों चोटहिलों के शरीर पर कहाँ–कहाँ चोट आयी थी उसने परीक्षण नहीं किया, न ही चोट की अवधि के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट तैयार की है। चोटहिल बृजनन्दन और रामतेज को जो चोटें आयी थी वह धक्का से नाले के पास गिरने या ठोस वस्तु पर गिरने से आ सकती हैं। चोटहिल बृजनन्दन होश में थे उसने इन दोनों चोटहिलों को प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल बस्ती के लिए रेफर कर दिया गया। दोनों चोटहिलों को जो चोटें आयी वह नहीं बता सकता कि कोई चोट प्राणघातक थी या नहीं।

38. पी०डब्लू०–3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि रामतेज उसके सगे भाई नहीं है। विनोद का वह सगा चाचा नहीं है। उसे नहीं मालूम की मुकदमे की रिपोर्ट किसने लिखी। विनोद कुमार ने नामजद अभियुक्तों के अतिरिक्त चार अज्ञात व्यक्तियों के बारे में तहरीर लिखवायी है वह सही है। चार अज्ञात लोगों के बारे में उसे जानकारी नहीं है। बाद में भी नहीं पता चला की ये चारों लोग अज्ञात व्यक्ति मारपीट करने आये थे, वे कहाँ गये। जिस समय हल्ला हुआ उस समय वह अपने घर पर सोया हुआ था। चन्द्रभान और केशभान की आपस में पटती है कि नहीं इस बात की जानकारी उसे नहीं है। चन्द्रभान और उसका परिवार मुम्बई में रहता है। जो खड़न्जा चन्द्रभान के घर गया है उसके बगल में पक्की नाली बनी हुई है। घटनास्थल पर काफी लोगों की भीड़ थी कि नहीं उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि वह गिर गया था। वह बेहोश हो गया था इस कारण नहीं बता सकता कि कौन आया, कौन गया। उसने ऐसा बयान पुलिस को नहीं दिया था कि रामतेज घर से बाहर निकले और जमीन पर गिर गये तो वह पहुँचा। वह बस्ती में तीन दिन भर्ती रहा है। धारदार पंच से उसकी आँख के नीचे चोट आयी थी इसी चोट से वह बेहोश हो गया। उसे गांव वालों ने भी बताया था कि राजेश का नाम गोली है। उसने देखा था कि राजेश भी घटनास्थल पर थे। उसे बस्ती में होश आया था। जब वह बेहोश हो गया तो कौन किसके साथ मारपीट किया इस बात की उसे जानकारी नहीं है। गांव वालों ने उसे बताया था कि मारपीट करने वाले यही अभियुक्तगण लोग थे। रामतेज को कोई सांस वगैरह की बीमारी नहीं थी। केशभान और चन्द्रभान जब कहासुनी कर रहे थे तब उनको नहीं सुना था। मारपीट उसके घर के सामने नहीं हुई थी, फिर साक्षी ने कहा कि उसके घर के सामने हुई थी। यह कहना गलत है कि "कहासुनी चन्द्रभान और केशभान के बीच उनके घर के सामने हो रही थी उसी समय मैं और रामतेज बीच–बचाव करने गये और किसी के धक्का देने से नाली पर गिरने से चोट आयी।"

39. पी०डब्लू०–4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि वह चोटहिल रामतेज का ईलाज कराने बेवा अस्पताल से लेकर बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ तक गया था उसके साथ दो लोग और गये थे। लखनऊ में वह एक दिन था उसके बाद चला आया था। रामतेज को लखनऊ अस्पताल से जब डिस्चार्ज किया गया तो उस समय वह नहीं था। रामतेज चलने लगे थे और स्वस्थ होने लगे थे

इसलिए उनको डिस्चार्ज किया गया था। रामतेज को लखनऊ से सिद्धार्थनगर कौन लाया इसकी जानकारी नहीं है। जिस समय घटना का शोरगुल हुआ उस समय वह अपने घर पर था। रामफेर और रामतेज दोनों सगे भाई हैं। बृजनन्दन के घर के सामने कोई मारपीट नहीं हुई। घटना में मारपीट करने वाले 4–6 और अज्ञात लोग थे। इन 4–6 अज्ञात लोगों को उसने देखा था जो 4–6 आदमी थे उन लोगों के हाथ में भी लाठी–डण्डा, हाकी, धारदार पंच था। जो अज्ञात आदमी मारपीट कर चले गये उनको पहचाना नहीं था। अज्ञात आदमी मारपीट कर दक्षिण तरफ चले गये। उसने पुलिस को भी बताया था कि 4–6 अज्ञात आदमी मारपीट किये थे।

40. साक्षी ने आगे बताया कि केशभान और चन्द्रभान का घर अगल–बगल है। चन्द्रभान और केशभान के घर के सामने रास्ते हैं। दोनों पर इन्टरलॉकिंग है। रास्ते के बगल में पक्की नाली नहीं है। जब वह घटनास्थल पर पहुँचा तब बृजनन्दन और रामतेज के शरीर पर चोट लगी हुई थी वहाँ मौके पर गांव के तमाम लोगों की भीड़ थी। उस समय वृजनन्दर होश में थे। राजेश गांव में आते–जाते थे, इसलिए उसका नाम भी जानता था। विनोद और राजेश से कोई वाद–विवाद है कि नहीं वह नहीं बता पायेगा। शेष नाथ का नाम लोग नहीं निकलवाये हैं। उसने पंचायतनामे में पूर्व चोटों और सांस लेने के सम्बन्ध में नहीं बताया। यह कहना गलत है कि "चन्द्रभान व केशभान अपने घर पर आपस में कहासुनी कर रहे थे उसी बीच–बचाव में किसी ने धक्का दे दिया और गिरने से चोटें आयी हैं।

41. पी०डब्लू०–5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि उसने जिला चिकित्सालय को दिनांक–24.06.2022 को समय डेढ़ बजे रामतेज को भर्ती किया था जो दूसरी जगह से ईलाज कराके आया था। उसके पास सी.टी. स्कैन वगैरह मौजूद था उसके द्वारा डिस्चार्ज स्लिप के क्रम सं०–6 में ओल्ड हेड इन्जरी लिखा है। चोटहिल के सिर पर जो चोट लगी थी वह पुरानी चोट थी कितना पुराना था नहीं बता पायेगा। चोटहिल रामतेज को बार–बार झटके आने की वजह से रेफर किया गया था।

42. पी–०डब्लू०–6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि एफ.आई.आर. में घटना में चार अज्ञात व्यक्तियों का नाम आया था। अज्ञात लोगों के बारे में पता लगाने का हर सम्भव प्रयास किया था, लेकिन उन अज्ञात व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पायी वे अज्ञात व्यक्ति कौन थे, कहाँ से आये थे। विवेचना के दौरान वादी और अभियुक्तगण के मध्य किसी पुरानी रंजिश होने की बात प्रकाश में नहीं आयी थी। पूर्व विवेचक द्वारा बनाये नक्शा–नजरी का अवलोकन किया था, परन्तु मौके पर जाकर सत्यापन नहीं किया था। नक्शा–नजरी देखकर बताया कि वादी मुकदमा के मकान के दक्षिण सटा रामफेर का मकान है। रामतेज की मृत्यु होने के बाद धारा– 304 भा०दं०सं की बढ़ोत्तरी हुई। प्रारम्भिक स्तर पर मृतक गम्भीर अवस्था में चोटहिल था बाद में उसकी मृत्यु होने पर धारा– 304 भा०दं०सं की बढ़ोत्तरी की गयी थी इसलिए आरोप पत्र में धारा– 308 भा०दं०सं

का भी उल्लेख किया गया है। बृजनन्दन के सम्बन्ध में किसी डॉक्टर का बयान लिया गया था या नहीं, याद नहीं। बृजनन्दन की चोट आख्या का अवलोकन केस डायरी में करना सहवन रह गया। साक्षी ने यह भी बताया कि जोखन, मेदलाल, सन्तोष कुमार तथा अन्य व्यक्तियों जिन्होंने चन्द्रभान और केशभान के दरवाजे पर मारपीट होना व बीच–बचाव में रामतेज और बृजनन्दन पर चोट नाली पर गिरने से आने का बयान दिया है उनका बयान पूर्व विवेचक ने लिया है। उसने अन्य समस्त संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया है।

43. विवेचक ने बताया कि विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त के कब्जे से कोई लाठी, डण्डा, भाला आदि बरामद नहीं हुआ था। किसी साक्षी ने विवेचना के दौरान उसे किसी अभियुक्त के हाथ में कोई हथियार होने की बात बतायी थी या नहीं, ध्यान नहीं है। विवेचना के दौरान शेषनाथ की नामजदगी गलत पायी गयी थी। चन्द्रभान के भाई केशभान ने प्रधान की चुनावी रंजिश में उसका नाम गलत लिखा दिया था। उसने साक्षी सग्घू चौहान के धारा–164 दं०प्र०सं० के बयान का अवलोकन किया है। विवेचना के दौरान खून लगा कपड़ा किसी साक्षी ने बरामद नहीं कराया था वह तीसरा विवेचक था इसलिए उसने बरामद करने का प्रयास नहीं किया।

44. पी०डब्लू०–7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि उसके द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चोट सं०–1, 2, 3 लिखा गया है वह चोट कितनी पुरानी थी नहीं बतायी जा सकती। तीनों चोटे सिर की थी। तीनों में खून का थक्का पाया गया था। अन्दर खून का थक्का देखने से पता चलता है कि ये घाव ताजा हैं। फ्रेस चोट मेडिकल लाईन में 24–48 घण्टे के अन्दर का माना जाता है। जो खून का थक्का ब्रेन सेल्स में पाया जाता है वह कभी–कभार व्यक्ति के अधिक तनाव, ब्लड प्रेशर के कारण नस फटने के वजह से फैल जाता है जो हर्ट सम्बन्धी बीमारी से होता है। यह कहना गलत है कि "पोस्टमार्टम के दौरान जो हम लोग लोहे के औजार से सिर को खोला गया था उसी चोट को पोस्टमार्टम में अंकित किया था।

45. पी०डब्लू०–8 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि पंचनामा का पेपर पोस्टमार्टम के पहले कराया जाता है। पंचनामा तैयार करने से पहले पंचो की नियुक्ति उसने की थी। पंच में केशभान चौधरी भी था। सभी पंचों द्वारा अलग–अलग व सामूहिक रूप से यह बताया गया कि मृतक को सांस लेने में परेशानी होने के कारण तथा पूर्व में चोट लगने से मृत्यु हुई है। मृतक के शरीर पर उसने सिर के सामने एक चोट देखी थी और आंख पर कालापन और कान के नीचे रगड़ थी।

46. पी०डब्लू०–9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि मारपीट में जो अज्ञात आदमी थे उनकी उसकी विवेचना के दौरान कोई जानकारी नहीं हुई थी। विवेचना के दौरान कोई लाठी, भाला या कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था। उसे किसी साक्षी ने यह नहीं बताया था कि किस अभियुक्त ने किस हथियार से किसको मारा। जोखन, मेदलाल, सन्तराम आदि ने यह बयान दिया था कि केशभान के दरवाजे पर केशभान और चन्द्रभान आदि आपस में गाली–गलौच कर रहे थे बीच

बचाव में बृजनन्दन और रामतेज भी गये थे वहाँ किसी के धक्का देने से पक्की नाली पर गिर गये और चोट आयी थी। उसने डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव और मोहनी का बयान के.जी.एम.यू. लखनऊ में जाकर लिया था जिनके अनुसार चोटहिल के कुछ स्वस्थ होने पर और उसके हल्का फुल्का चलने फिरने पर उसके परिजनों की इच्छानुसार डिस्चार्ज किया गया था। उसे बृजनन्दन कि किसी चोट के सम्बन्ध में जानलेवा होने का बयान नहीं दिया गया था। उसने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से कोई पूछताछ नहीं की थी कि रामतेज की मृत्यु सांस लेने में परेशानी की वजह से हुई थी या चोट की वजह से।

47. पी०डब्लू०–10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि कायमी प्रदर्श क–15 की कॉपी उसके द्वारा प्रमाणित किया गया है जिसका मूल थाने के कम्प्यूटर में है। आज उसके सामने मूल नहीं है लेकिन उसके द्वारा बिना मूल के ही प्रमाणित है। थाने पर कोई भी दरखास्त लेकर जाता है तो एस०ओ० के लिखित या मौखिक निर्देश पर ही उसके द्वारा एफ०आई०आर० पंजीकृत किया जाता है। इस मामले में वादी मुकदमा दरखास्त उसके पास लेके आया उसके बाद वह दरखास्त लेकर एस०ओ० के पास गया उसके मौखिक निर्देश पर उसने मुकदमा पंजीकृत किया था। विनोद उसके पास अकेले गया था उसके साथ और कोई नहीं गया था। विनोद के साथ और लोग आये थे कि नहीं इस बारे में कोई जानकारी नहीं हो पायी क्योंकि वह अपने कार्यालय में था। केशभान विनोद के साथ थे या नहीं इस समय उसे याद नहीं।

48. पी०डब्लू०–11 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि चोटहिल उसके ईलाज के दौरान स्वस्थ हो गया था, लेकिन हाथ पैर की कमजोरी की वजह से चल नहीं पा रहा था। खाने–पीने व बोलने लगा था। उसने मरीज को चार सप्ताह के लिए बेड रेस्ट के लिए कहा था। यह कहना सही है कि "मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया था।"

49. पी०डब्लू०–12 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि चार अज्ञात आदमी का उसकी विवेचना में भी कोई पता नहीं चला था। मुल्जिम और वादी की किसी पुरानी रंजिश का भी कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। उसने भी कोई लाठी, डण्डा या हॉकी, पंच बरामद नहीं किया था। किसी साक्षी ने उसे नहीं बताया था कि किसके हाथ में क्या हथियार था। उसे कुछ साक्षीगण द्वारा यह बताया गया था कि केशभान चौधरी व चन्द्रभान आपस में गाली–गलौच देते हुए आपस में लाठी–डण्डे से मारपीट कर रहे थे इतने में बीच–बचाव करने रामतेज व बृजनन्दन और आस–पास के तमाम लोग आ गये। बीच–बचाव करने में रामतेज व बृजनन्दन पक्की नाली पर किसी के धक्का लगने से गिर गये और गिरने से उन लोगों के सिर तथा मुँह पर चोटें आयी। उसके द्वारा विवेचना में उक्त सारी बातें सही पायी गयी। उसने सहवन गलती से केशभान के दरवाजे का नक्शा–नजरी नहीं बनाया है। यह कहना गलत है कि "अभियुक्तों द्वारा मारने–पीटने से कोई चोट नहीं आयी थी, बल्कि रामतेज व बृजनन्दन को पक्की नाली पर गिरने से चोटें आयी थी।"

50. अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य के खण्डन में बचाव पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा साक्षी डी०डब्लू०–1 व डी०डब्लू०–2 प्रस्तुत किये गये। डी०डब्लू०–1 ने अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में बताया है कि मुल्जिमान उसी के गांव के निवासी हैं। चन्द्रभान के घर से उसका घर दो–तीन घर के बाद का है। चन्द्रभान उसकी जाति के हैं तथा दूर के पट्टीदार लगते हैं। घटना लगभग तीन वर्ष पुरानी है। तारीख उसे पूर्ण रूप से याद नहीं। आज उसके साथ चन्द्रभान भी आये हैं वह चन्द्रभान के साथ गवाही देने आया है।

51. डी०डब्लू०–2 ने अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में बताया है कि मुल्जिम उसके गांव के रहने वाले हैं। इसके पट्टीदार नहीं है जाति विरादरी के हैं। उसका और चन्द्रभान का घर चार पाँच घर बाद है। उसके चन्द्रभान से सम्बन्ध अच्छे हैं। गांव के किसी व्यक्ति से उसकी दुश्मनी नहीं है। घटना का दिन व दिनांक याद नहीं आ रहा है।

<u>निष्कर्ष</u>

52. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं।

53. अभियोजन ने जहाँ नामजद अभियुक्तगण के साथ–साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा भी रात के 12 बजे के आस–पास रामतेज और बृजनन्दन के साथ मारपीट करने की साक्ष्य प्रस्तुत की है वहीं बचाव पक्ष द्वारा मुख्य बल इस बात पर दिया गया कि यदि मारपीट से कोई चोट लगी तो वह उन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पहुँचायी गयी थी जिनकी विवेचना के दौरान कोई शिनाख्त नहीं हो पायी है। वे अज्ञात व्यक्ति अभियोजन पक्ष के साथ मारपीट करके चले गये थे और उनका अभियुक्तगण से कोई सम्बन्ध नहीं था, परन्तु यह स्पष्ट हुआ है कि अभियोजन द्वारा पृथक से चार अज्ञात व्यक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है वरन् यह कहा गया है कि नामजद अभियुक्तगण जिनका विचारण किया जा रहा है उनके साथ चार अज्ञात व्यक्ति भी मौके पर थे सबके हाथ में लाठी, डण्डा, हाकी तथा धारदार पंच था जिससे उन्होंने जान से मारने की नीयत से रामतेज और बृजनन्दन पर हमला किया। अज्ञात व्यक्तियों के सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा जो प्रतिपरीक्षायें की गयी हैं उनसे यह स्पष्ट नहीं होता है कि नामजद अभियुक्तगण तथा अज्ञात व्यक्तियों के घटनाक्रम अलग–अलग हैं और अभियुक्तगण द्वारा जिस समय मारपीट करने की घटना बतायी गयी। उस समय अज्ञात व्यक्तियों ने मारपीट नहीं की थी।

54. अज्ञात व्यक्तियों के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी जो घटना में चोटहिल हुआ था पी०डब्लू०–3 बृजनन्दन ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण के अलावा अज्ञात व्यक्तियों का कोई उल्लेख नहीं किया है, यद्यपि उसने यह बताया है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुछ अज्ञात व्यक्ति भी लिखाये गये हैं तो वे सही हैं। घटना लगभग रात के 12 बजे की है। बृजनन्दन जो सो रहा था वह घटनास्थल पर पहुँचा और उसके साथ भी मारपीट की गयी। उसने बताया है कि मारपीट

में वह बेहोश हो गया और उसने घटनास्थल पर राजेश उर्फ गोली को देखा था। उसकी आँख के नीचे धारदार पंच से चोट आयी थी। बेहोश हो जाने के कारण कौन किसके साथ मारपीट किया वह नहीं बता सकता। इसने इस बात से इन्कार किया है कि चन्द्रभान और केशभान के घर के सामने वे आपस में लड़ रहे हों और उस समय रामतेज के साथ ये मौके पर पहुँचा और उसको किसी ने धक्का दे दिया और नाली पर गिरने से चोटें आयी हों। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा से सभी अभियुक्तों के सम्बन्ध में स्पष्ट वर्णन किया है और बताया है कि मुल्जिमान के मारने–पीटने से रामतेज जमीन पर गिर गये और उसे भी मुल्जिमानों ने मारा–पीटा।

55. वादी मुकदमा जो मौके का साक्षी नहीं है, बल्कि घटना के कुछ समय पश्चात् पहुँचा है उसके द्वारा भी चार अज्ञात व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी न होने की साक्ष्य अभियुक्तगण को कोई लाभ नहीं पहुँचाती है। उसने बताया है कि धनन्जय चौधरी उसके पिता को मार रहे थे राजेश उर्फ गोली का नाम वह जानता है। उसने यह भी बताया है कि उसकी प्रेम प्रकाश और केशभान से पुरानी रंजिश थी जो उसके पिता ने बतायी थी। इसी प्रकार पी०डब्लू०–4 जो घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है उसने भी नामजद अभियुक्तों के अतिरिक्त किसी अज्ञात व्यक्ति का उल्लेख अपनी मुख्य परीक्षा में नहीं किया है, परन्तु उसने जिरह में यह बताया है कि घटना में मारपीट करने वाले जो 4–6 अज्ञात लोग थे उनके हाथ में भी लाठी, डण्डा और धारदार पंच थे। कथित चार अज्ञात व्यक्तियों के सन्दर्भ में प्रकरण के तीनों विवेचकों ने कोई सम्यक साक्ष्य एकत्रित नहीं की है। तीनों ही विवेचको ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि अज्ञात व्यक्तियों के बारे में जानकारी करने का प्रयास किया था, परन्तु उनकी कोई जानकारी नहीं हुई। पी०डब्लू०–4 ने यह भी बताया है कि जो चोटें रामतेज और बृजनन्दन को लगी थीं वे इन्टरलॉकिंग पर गिरने से नहीं लगी थी और उसने यह भी बताया कि विनोद और राजेश के बीच कोई विवाद था या नहीं यह भी वह नहीं बता सकता।

56. इस प्रकार चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घटना कारित की गयी हो इसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियोजन के जो साक्षी जिनमें चोटहिल भी शामिल है उसने स्पष्ट रूप से अभियुक्तों और उनके हाथ में होने वाले हथियारों को वर्णन किया है। अपने साथ भी मारपीट की पुष्टि की है। इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में चार अज्ञात व्यक्तियों के सम्बन्ध में तो प्रश्न किये गये हैं, परन्तु उन अभियुक्तगण, जिनका विचारण किया जा रहा है उनके सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं किया गया है। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है जो यह साबित कर सके कि विचारण किये जाने वाले अभियुक्तों में से कोई अभियुक्त मौके पर उपस्थित न हो। इस कारण अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गयी मारपीट का बचाव पक्ष का तर्क बलहीन है।

57. बचाव पक्ष द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि घटना के दिन चन्द्रभान और केशभान अपने घर पर विवाद कर रहे थे उस विवाद को बचाने के लिए रामतेज और बृजनन्दन मौके पर पहुँचे जहाँ भीड़ इकट्ठा होने से किसी ने उन्हें धक्का दे दिया और दोनों सड़क किनारे लगी नाली पर

गिर गये जिससे उन्हें चोट आ गयी। इस सम्बन्ध में पी०डब्लू०–1 ने स्पष्ट रूप से इस बात से इन्कार किया था कि घटना उस समय हुई जब चन्द्रभान और केशभान अपने घर मारपीट कर रहे थे और उनके मध्य हो रही मारपीट का बीच–बचाव करने पहुँचे उसके पिता और बृजनन्दन को बीच–बचाव करने से चोट आयी हो। इसका खण्डन पी०डब्लू०–3 चोटहिल और पी०डब्लू०–4 दोनों ने किया है। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये डी०डब्लू०–1 और डी०डब्लू०–2 दोनों ने इस बात का समर्थन अपनी मुख्य परीक्षा में किया है कि दिनांक– 18.06.2022 को रात के समय केशभान और चन्द्रभान के मध्य विवाद हो रहा था और कहासुनी पर वे लोग मौके पर पहुंचे, परन्तु दोनों ही साक्षियों ने केशभान और चन्द्रभान के मध्य मारपीट होने की बात नहीं कही। दोनों ही साक्षियों ने घटना का समय स्पष्ट नहीं किया है। डी०डब्लू०–1 के अनुसार रात का समय था, जबकि डी०डब्लू०–2 ने घटना का कोई समय अपनी मुख्य परीक्षा में उल्लिखित नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इन दोनों की साक्ष्य में मौके पर किसी चार अज्ञात व्यक्तियों के होने के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यदि यह माना जाये कि मौके पर कहासुनी की घटना में चोटहिलों के साथ मारपीट अज्ञात व्यक्तियों ने की तो उन अज्ञात व्यक्तियों को बचाव पक्ष के साक्षियों द्वारा अपने बयान में देखने का उल्लेख करना चाहिए था। दोनों ही बचाव पक्ष के साक्षियों ने अपनी प्रतिपरीक्षाओं में घटना की तारीख का ज्ञान होने से इन्कार किया है। घटना के दिन दिनांक को ज्ञात होने से इन्कार किया है, जबकि दोनों ने अपनी मुख्य परीक्षाओं में घटना का स्पष्ट दिनांक अंकित किया है। वह विवेचक पी०डब्लू०–12 जिसने अपनी विवेचना में कुछ ऐसे साक्षियों के बयानों का अंकन किया जिन्होंने यह बताया कि केशभान के दरवाजे पर केशभान चौधरी और चन्द्रभान चौधरी आपस में एक दूसरे को गाली गलौज देते हुए लाठी, डण्डा से मारपीट कर रहे थे और वहाँ पर बचाने आये बृजनन्दन और रामतेज को धक्का–मुक्की में चोटें आयी इसकी कोई पुष्टि इस कारण नहीं होती है, क्योंकि यदि चन्द्रभान और केशभान आपस में लाठी डण्डे से मारपीट कर रहे थे तो केशभान पक्ष को भी चोटें आना सम्भव थी और चन्द्रभान पक्ष को भी चोट आना सम्भव थी, परन्तु ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जो यह स्पष्ट कर सके कि वास्तविक लड़ाई चन्द्रभान और केशभान के बीच हो रही थी और चन्द्रभान अथवा केशभान पक्ष की किसी भी चोट को जो कथित रूप से उनके द्वारा लाठी–डण्डे की लड़ाई में आयी हो।

58. इस प्रकरण में इस मारपीट का कारण और अभियुक्तगण को संलिप्त करने का कारण केशभान और चन्द्रभान की आपसी लड़ाई–झगड़े को बताया गया जिसमें यह तर्क दिया गया कि दोनों भाई आपस में एक–दूसरे के विरोधी हैं इसी कारण केशभान ने उसके साथ होने वाले लड़ाई– झगड़े में धक्का–मुक्की में गिरे रामतेज और बृजनन्दन को असत्य रूप से मारपीट की घटना में बदल दिया, परन्तु केशभान अथवा उसके परिवार के किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में

न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। चन्द्रभान और केशभान की आपसी शत्रुता या लड़ाई झगड़ा क्या इस प्रकृति का था कि वह अपने भाई को और उसके परिवार को झूठा फंसा दे यह साबित नहीं हुआ है। जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है वो यह स्पष्ट करती है कि प्रधानी और आपसी बंटवारे को लेकर दोनों भाईयों के मध्य विवाद था, परन्तु उस विवाद को लेकर अभियुक्तगण ने रामतेज और बृजनन्दन के साथ मारपीट न की हो यह स्पष्ट नहीं हुआ है। भले ही केशभान और चन्द्रभान के मध्य आपसी विवाद था, परन्तु रामतेज और बृजनन्दन के साथ की गयी मारपीट झूठी साबित नहीं होती है।

59. बचाव पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया उन्होंने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया कि रात में होने वाली इस घटना में विचारण किये जाने वाले अभियुक्त मौके पर न हों। यहाँ तक कि राजेश उर्फ गोली जो चन्द्रभान का रिश्तेदार है वह रात के 12 बजे घटनास्थल पर न हो इसका भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। डी०डब्लू० 1 व डी०डब्लू०–2 दोनों के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय चन्द्रभान, संजय, धनन्जय, राजेश और प्रेम प्रकाश मौके पर उपस्थित थे। घटना लगभग 12 बजे की दर्शित की गयी है और उसके तुरन्त पश्चात् दोनों चोटहिलों को आने वाली चोटों के क्रम में उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया है जहाँ उनका ईलाज किया गया।

60. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया था कि किसी भी चोटहिल का कोई मेडिकोलीगल नहीं किया गया है किसी डॉक्टर ने उनके शरीर पर पायी जाने वाली चोटें अंकित नहीं की हैं, अन्ततः उनके शरीर पर जो चोटें पायी गयी हैं वे नाली पर गिरने से आना सम्भव पाया गया। इस तर्क को इस कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि घटना दिनांक– 18.06.2022 को रात्रि लगभग 12 बजे की वर्णित है और दिनांक– 19.06.2022 को प्रातः 1:15 ए.एम. पर दोनों चोटहिलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेवा में इमरजेन्सी ड्यूटी पर देखा गया है जिसमें रामतेज हेड इन्जरी के कारण बेहोशी की हालत में थे उनका ब्लड प्रेशर 98/68 तथा पल्स रेट 94/मिनट थी इसी प्रकार बृजनन्दन के सिर व चेहरे पर भी चोटें थी और उसकी बांयी आँख के चारों तरफ सूजन और हीमोटोमा मौजूद था जिनको प्रभावी इलाज के लिए हायर सेन्टरों पर रेफर किया गया, इसकी पुष्टि चिकित्सक पी०डब्लू०–2 ने अपनी साक्ष्य में की है और उनकी चोटों के सम्बन्ध में तैयार किये गये प्रपत्रों को प्रदर्श क–3 और प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया गया है।

61. चोटहिलों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट हुआ है कि उनका इलाज न केवल स्थानीय स्तर पर किया गया, बल्कि रामतेज को गम्भीर हालत होने के कारण उसकी चिकित्सा किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में भी की गयी। रामतेज दिनांक 19.06.2022 को लखनऊ में एडमिट किया गया जिस समय वह के.जी.एम.यू. ले जाया गया उस समय भी वह बेहोशी की हालत में था उसकी

प्राथमिक जाँचों व सी.टी. स्कैन से सिर की गम्भीर चोटें पायी गयी और उसके दिमाग में खून के थक्के भी पाये गये। उसे इलाज के दौरान आई.सी.यू. केयर देनी पड़ी तथा सांस के सपोर्ट के लिए गले में ट्यूब भी डाली गयी। इस चोटहिल की मृत्यु घटना के 6 दिन बाद दिनांक– 25.06.2022 को हुई है। रामतेज के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सिर पर तीन मृत्यु पूर्व चोटें पायी गयी जिसमें चोट नं०–1 पर तीन टांके भी लगाये गये। तथा शेष चोट नं०–2 एक कन्टयूज स्वैलिंग 6 x 10 सेमी. के आकार का दाहिने टेम्पोरल रीजन में उपस्थित था वहाँ का स्किन काटने पर अन्दर खून का थक्काक जमा था तथा चोट नं०–3 एक कन्टयूज स्वैलिंग 10 x 7 सेमी. के आकार का ओसीपीटो पैराइटल एरिया में उपस्थित था वहाँ का स्किन काटने पर खून का थक्का जमा था। इस प्रकार उसके सिर पर पायी जाने वाली तीन चोटें जो गम्भीर प्रकृति की थी जिसने उसके मस्तिष्क में रक्त के जमाव स्थापित किये उन्हें किसी प्रकार से किसी नाली पर गिरने से आने वाली चोट नहीं माना जा सकता। नाली पर यदि कोई व्यक्ति गिरेगा तो उसे सिर पर एक चोट आना तो सम्भव है, परन्तु तीन चोटें आना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार बृजनन्दन के भी नाली पर गिरने से सिर पर चोट आयी हो यह भी सम्भव नहीं है यदि वास्तव में लड़ाई–झगड़ा हो रहा था तो इन्हीं दो व्यक्तियों को किसी ने धक्का क्यों दिया यह भी स्पष्ट नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चोटहिलों की मेडिकल साक्ष्य स्पष्ट है और यह सिद्ध करती है कि उनके शरीर पर पायी गयी चोटें विचारण किये जाने वाले अभियुक्तगण के प्रहार से आयी हैं, वे चोटें किसी नाली पर गिरने से अथवा किसी के धक्का देने से नहीं आयी हैं।

62. यह स्पष्ट हुआ है कि अभियुक्तगणों द्वारा की गयी मार पीट से ही मृतक को चोट आई, जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उससे अभियुक्तगणों का मृतक की हत्या करने का आशय स्पष्ट नहीं होता है। अभियोजन द्वारा यह कहा गया कि पुरानी रंजिश के कारण अभियुक्तगणों ने एक राय होकर रामतेज और बृजनन्दन के साथ मार पीट की, जिससे उसको चोटे लगी और अन्ततः उसकी मृत्यु हो गयी, परन्तु अभियुक्तगण और रामतेज तथा बृजनन्दन के मध्य रंजिश क्या थी यह किसी साक्ष्य से स्पष्ट नहीं हुआ है न ही यह साबित हुआ है कि रंजिश इतनी गंभीर प्रकृति की थी कि अभियुक्तों का आशय मृतक की हत्या करने का हो जाय। वादी मुकदमा अपनी तहरीर में उक्त घटना क्रम रंजिश के आधार पर होना बताता है, परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट करता है कि उसके और चन्द्रभान के बीच पुरानी रंजिश थी, लेकिन कौन सी रंजिश थी नहीं बता पायेगा। पुरानी रंजिश के बारे में उसके पिता ने बताया था, लेकिन वह कौन सी रंजिश बताये थे वह नहीं बता पायेगा। एफ०आई०आर में उसने पुरानी रंजिश को लेकर तहरीर लिखवाया है। उसे लिखते समय इस बात को उससे किसी ने नहीं बताया था। इसी प्रकार इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रेम प्रकाश से

भी उसकी पुरानी रंजिश है जो जमीनी रंजिश है। जमीनी रंजिश के बारे में किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चल रहा है। प्रेम प्रकाश से कितनी पुरानी रंजिश है यह वह नहीं जानता है।

63. इसी प्रकार पी०डब्लू०–3 चोटहिल ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना क्रम के संबंध में किसी रंजिश का उल्लेख नहीं किया है। अन्य साक्षियों के द्वारा भी जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उससे भी किसी ऐसी रंजिश का पता नहीं चलता है। जिस कारण अभियुक्तगणों का आशय किसी की हत्या करने तक विस्तृत हो जाय। इसके विपरीत यह साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है कि घटना स्थल पर मार पीट के समय कुल व्यक्तियों के संख्या निश्चित नहीं थी। चोटहिल बृजनन्दन के शरीर पर ऐसी कोई घातक चोट भी नहीं पायी गयी जो यह स्पष्ट करे कि अभियुक्तगणों का आशय दोनों व्यक्तियों की हत्या करने का था। यह स्पष्ट होता है कि जो मार पीट की गयी उसमे रामतेज के सर में चोटे लगी, जिससे चोट लगने के लगभग 5 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई। इस बीच उसे के०जी०एम०यू० लखनऊ में जहां इलाज चल रहा था वहां से डिस्चार्ज कराया गया। चिकित्सक ने यह बताया है कि रामतेज की हालत में सुधार हो गया था तथा वह खाने पीने और बोलने लगा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि घटना कारित करने के कुछ समय पश्चात रामतेज के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था। उसकी मृत्यु के कारण के संबंध में भी पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक ने जिसने दिनांक–25.06.2022 को पोस्टमार्टम किया था, ताजा चोट होने का उल्लेख किया है और ताजा चोट के संबंध में 24 घंटे पहले की होने का वर्णन भी किया, जबकि रामतेज को चोट कथित रूप से 18.06.2022 की रात्रि में पहुंची थी। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि जो चोटें रामतेज को पहुंचायी गयी उनमें इस बात का ज्ञान तो था कि उस चोट से मृत्यु होना संभाव्य है, परन्तु उन चोटों को मृत्यु कारित करने या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो कारित करने के आशय से किया गया साबित नहीं हुआ है। अतः अभियुक्तगण धारा–304 के पार्ट दो में दोषसिद्ध होने योग्य हैं।

64. अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देने और गाली–गलौच दिये जाने का कथन किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से गाली–गलौच के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य इस प्रकार की प्रस्तुत नहीं की गयी है कि कौन अभियुक्त किस व्यक्ति को गालियाँ दे रहा था, न ही यह साबित किया गया है कि कौन सा अभियुक्त क्या गाली दे रहा था, गाली कोई एक दे रहा था अथवा सब दे रहे थे यह भी साबित नहीं है। इसी प्रकार जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में भी कोई इस प्रकार का साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि जान से मारने की धमकी कौन किसको दे रहा था। क्या सभी चोटहिलों को और उनके साथ में मौजूद अन्य लोगों को धमकी दे रहे थे या किसी एक व्यक्ति को धमकी दे रही थे अथवा रामतेज या बृजनन्दन को धमकी दे रहे थे, साबित

नहीं है। **इस प्रकार अभियुक्तगण पर आरोप अन्तर्गत धारा–504, 506 भा०दं०सं० संदेह से परे साबित नहीं है।**

65. अत: मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए विवाद्यक बिन्दुओं के सम्बन्ध में यह पाया गया कि अभियुक्तगण जिनका विचारण किया जा रहा है, उनके द्वारा दिनांक– 18.06.2022 को रात्रि 12 बजे रामतेज और बृजनन्दन के साथ मारपीट की गयी। इस प्रकार अभियोजन अपना प्रकरण अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण चन्द्रभान, संजय चौधरी, राजेश उर्फ गोली, प्रेम प्रकाश व धनन्जय चौधरी अन्तर्गत धारा– 147, 304(पार्ट–2)/34, 308/34, 323/34, 452 भा०दं०सं० के आरोप में दोषसिद्ध होने योग्य हैं तथा अन्तर्गत धारा–504, 506 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त होने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

66. अभियुक्तगण **चन्द्रभान, संजय चौधरी, राजेश उर्फ गोली, प्रेम प्रकाश व धनन्जय चौधरी** को मु०अ०सं०– 52/2022 थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर के प्रकरण में अन्तर्गत धारा– 147, 304(पार्ट–2)/34, 308/34, 323/34, 452 भा०दं०सं० के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है तथा अन्तर्गत धारा–504, 506 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हैं उन्हें अविलम्ब न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए।

67. अभियुक्तगण जो जमानत पर हैं उनके व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

68. दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक–19.03.2026 को पेश हो।

दिनांक–18.03.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर
J.O. CODE – UP06336

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–18.03.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर
J.O. CODE – UP06336

दिनांक–19.03.2026

69. पत्रावली पेश हुई। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) और अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना।

70. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया कि दोषसिद्धगण द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। दोषसिद्ध ने चोटहिलों को मारपीट कर घातक चोटें पहुंचायीं। अतः उन्हें अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

71. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि दोषसिद्धगण का यह पहला अपराध है। दोषसिद्धगण एक ही परिवार के सदस्य है उनके अलावा परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अतः उन्हें कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

72. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

73. उभय पक्ष के तर्को और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि दोषसिद्धगण द्वारा की गयी मारपीट के कारण रामतेज के सिर में तीन घातक चोटें लगीं जो कुछ हद तक सही भी हो गई थी, परन्तु अन्ततः उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। चोट लगने व मृत्यु होने में लगभग 5 दिनों का अन्तर था। दोषसिद्धगण द्वारा रामतेज के सिर पर पहुँचायी गयी चोटें उनके ज्ञान को स्पष्ट करती हैं। यह स्पष्ट होता है कि उनको यह ज्ञान था कि उनके द्वारा किये जा रहे प्रहार से मृत्यु अथवा ऐसी शारीरिक क्षति कारित हो सकती है जिससे मृत्यु संभव है। दोषसिद्धगण में तीन व्यक्ति एक ही परिवार के हैं और आपस में पिता पुत्र हैं, जबकि एक उनका रिश्तेदार है तथा एक अन्य उनका पड़ोसी है। किसी दोषसिद्ध गण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धी प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्धगण को निम्नवत दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

74. दोषसिद्ध **चन्द्रभान** को धारा–304(**पार्ट–2**)/34 भा०दं०सं० के तहत 3 **वर्ष** का कठोर कारावास तथा 10,000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर 1 **वर्ष** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

75. दोषसिद्ध **चन्द्रभान** को धारा–308/34 भा०दं०सं० के तहत 3 **वर्ष** का कठोर कारावास तथा 10,000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर 1 **वर्ष** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

76. दोषसिद्ध **चन्द्रभान** को धारा–323/34 भा०दं०सं० के तहत 1 **वर्ष** का साधारण कारावास तथा 1000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर 1 **माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

77. दोषसिद्ध **चन्द्रभान** को धारा–452 भा०दं०सं० के तहत **3 वर्ष** का साधारण कारावास तथा 10,000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर **1 वर्ष** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

78. दोषसिद्ध **चन्द्रभान** को धारा–147 भा०दं०सं० के तहत **1 वर्ष** का साधारण कारावास तथा 1000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर **1 माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

79. दोषसिद्ध **संजय चौधरी** को धारा–304(**पार्ट**–2)/34 भा०दं०सं० के तहत **3 वर्ष** का कठोर कारावास तथा 10,000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

80. दोषसिद्ध **संजय चौधरी** को धारा–308/34 भा०दं०सं० के तहत **3 वर्ष** का कठोर कारावास तथा 10,000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर 1 **वर्ष** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

81. दोषसिद्ध **संजय चौधरी** को धारा–323/34 भा०दं०सं० के तहत **1 वर्ष** का साधारण कारावास तथा 1000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर **1 माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

82. दोषसिद्ध **संजय चौधरी** को धारा–452 भा०दं०सं० के तहत **3 वर्ष** का साधारण कारावास तथा 10,000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर **1 वर्ष** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

83. दोषसिद्ध **संजय चौधरी** को धारा–147 भा०दं०सं० के तहत **1 वर्ष** का साधारण कारावास तथा 1000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर **1 माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

84. दोषसिद्ध **राजेश उर्फ गोली** को धारा–304(**पार्ट**–2)/34 भा०दं०सं० के तहत **3 वर्ष** का कठोर कारावास तथा 10,000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

85. दोषसिद्ध **राजेश उर्फ गोली** को धारा–308/34 भा०दं०सं० के तहत **3 वर्ष** का कठोर कारावास तथा 10,000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर 1 **वर्ष** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

86. दोषसिद्ध **राजेश उर्फ गोली** को धारा–323/34 भा०दं०सं० के तहत **1 वर्ष** का साधारण कारावास तथा 1000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर **1 माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

87. दोषसिद्ध **राजेश उर्फ गोली** को धारा–452 भा०दं०सं० के तहत **3 वर्ष** का साधारण कारावास तथा 10,000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर 1 **वर्ष** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

88. दोषसिद्ध **राजेश उर्फ गोली** को धारा–147 भा०दं०सं० के तहत **1 वर्ष** का साधारण कारावास तथा 1000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर **1 माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

89. दोषसिद्ध **प्रेम प्रकाश** को धारा–304 (पार्ट–2)/34 भा०दं०सं० के तहत **3 वर्ष** का कठोर कारावास तथा 10,000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

90. दोषसिद्ध **प्रेम प्रकाश** को धारा–308/34 भा०दं०सं० के तहत **3 वर्ष** का कठोर कारावास तथा 10,000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर **1 वर्ष** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

91. दोषसिद्ध **प्रेम प्रकाश** को धारा–323/34 भा०दं०सं० के तहत **1 वर्ष** का साधारण कारावास तथा 1000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर **1 माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

92. दोषसिद्ध **प्रेम प्रकाश** को धारा–452 भा०दं०सं० के तहत **3 वर्ष** का साधारण कारावास तथा 10,000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर **1 वर्ष** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

93. दोषसिद्ध **प्रेम प्रकाश** को धारा–147 भा०दं०सं० के तहत **1 वर्ष** का साधारण कारावास तथा 1000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर **1 माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

94. दोषसिद्ध **धनन्जय चौधरी** को धारा–304(पार्ट–2)/34 भा०दं०सं० के तहत **3 वर्ष** का कठोर कारावास तथा 10,000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

95. दोषसिद्ध **धनन्जय चौधरी** को धारा–308/34 भा०दं०सं० के तहत **3 वर्ष** का कठोर कारावास तथा 10,000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर 1 **वर्ष** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

96. दोषसिद्ध **धनन्जय चौधरी** को धारा–323/34 भा०दं०सं० के तहत **1 वर्ष** का साधारण कारावास तथा 1000/–रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर **1 माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

97. दोषसिद्ध **धनन्जय चौधरी** को धारा–**452** भा०दं०सं० के तहत **3 वर्ष** का साधारण कारावास तथा **10,000/–**रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर **1 वर्ष** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

98. दोषसिद्ध **धनन्जय चौधरी** को धारा–**147** भा०दं०सं० के तहत **1 वर्ष** का साधारण कारावास तथा **1000/–**रुपये जुर्माना से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने पर **1 माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

99. जुर्माना अदा करने पर जुर्माना की सम्पूर्ण धनराशि मृतक रामतेज व चोटिहल बृजनन्दन को क्रमशः 75% व 25% के अनुपात में दी जाएगी।

100. दोषसिद्धगण की सभी सजाएँ साथ–साथ चलेंगी तथा दोषसिद्धगण द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।

101. दोषसिद्धगण का सजायाबी वारन्ट बनाकर अविलम्ब अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर को अनुपालन हेतु भेजा जाये।

102. निर्णय की एक प्रति धारा–365 दं०प्र०सं० के तहत जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर को प्रेषित की जाये।

103. इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण सं०–410/2023 की पत्रावली में रखी जाये।

104. निर्णय की एक–एक प्रति दोषसिद्धगण को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक–19.03.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर
J.O. CODE – UP 6336

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–19.03.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर
J.O. CODE – UP 6336